वित्त निर्देश 03/2018

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्र. 48 /एफ 2017–04–03685/वि/नि/चार   नया रायपुर, दिनांक 05.02.2018

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त कलेक्टर
छत्तीसगढ़

विषयः–दिनांक 01.01.2016 को अथवा पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत शासकीय सेवकों के पेंशन/परिवार पेंशन का पुनरीक्षण (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी)

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 19 मई, 2017 द्वारा नियमित कर्मचारियों के वेतनमानों का तथा अधिसूचना क्रमांक 2016–04–03303/वित्त/नियम/चार, दिनांक 1 जुलाई, 2017 द्वारा कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सेवा के सदस्यों के वेतनमानों का पुनरीक्षण दिनांक 01.01.2016 से किया गया है।

2. राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 01.01.2016 को अथवा पश्चात् सेवानिवृत्त/दिवंगत ऐसे शासकीय सेवक जिन्हें छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 लागू है, के पेंशन/परिवार पेंशन हितलाभों का निम्नानुसार पुनरीक्षण किया जाए:–

क. पेंशन, परिवार पेंशन, पेंशन सांराशिकरण का निर्धारण छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के प्रावधानों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान में किया जाए।

ख. छत्तीसगढ़ (कार्यभारित तथा आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारी) पेंशन नियम, 1979 के अंतर्गत देय मृत्यु–सह–सेवानिवृत्ति उपादान की अधिकतम सीमा रूपये 20 लाख की जाती है।

ग. पेंशन एवं परिवार पेंशन की न्यूनतम मासिक राशि रूपये 7750/– (वृद्धों को प्राप्त अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर की जाती है। पेंशन/परिवार पेंशन की अधिकतम सीमा राज्य शासन के शासकीय सेवकों को पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त अधिकतम वेतन का क्रमशः 50 एवं 30 प्रतिशत किया जाता है।

3. पुनरीक्षित पेंशन/परिवार पेंशन की राशि का भुगतान पेंशन भुगतानकर्ता द्वारा पूर्व में किये गये भुगतान को समायोजित करते हुए किया जाएगा।

4. उपर्युक्त पैरा 2 (ख) एवं (ग) के लिये सुसंगत नियमों में संशोधन पृथक से किये जायेंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

5/2/2018

(एस.के. चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 49/एफ 2017-04-03685/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 05.02.2018

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल /महाधिवक्ता / उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री (समस्त), छत्तीसगढ़, नया रायपुर
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर
9. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, नया रायपुर
10. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
11. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर
12. समस्त अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, नया रायपुर
13. संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर
14. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर
15. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
16. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/इंद्रावती कोषालय, छत्तीसगढ़
17. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
18. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर

– को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु

19. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट www.cgfinance.nic.in पर अपलोड करने हेतु

05.02.18
(राघवेन्द्र कुमार)
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी